

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,

सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),

वीरचन्द्र पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा:- आंतरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-14/08/2025

विषय:- संजीवनी कार्यक्रम तथा अन्य IT संबंधित कार्यों के संचालन हेतु होने वाले व्यय एवं मानदेय के बकाया भुगतान हेतु राज्य योजना मद से राशि रु० 1,51,05,000/- (रुपये एक करोड़ इक्यावन लाख पाँच हजार) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2025-26 में द्वितीय किस्त के रूप में रु० 67,00,000/- (रुपये सड़सठ लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

राज्य के आयुष समिति अन्तर्गत कार्यरत संस्थानों में इस प्रणाली के माध्यम से वाह्य कक्ष में रोगियों का पंजीकरण दवाओं का वितरण आदि के कम्प्यूटरीकृत कार्य हेतु संजीवनी कार्यक्रम अन्तर्गत वाह्य स्रोत से ली जा रही डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (कम्प्यूटर उपस्कर सहित) एवं अन्य का भुगतान किया जाना है।

2- राज्य आयुष समिति, बिहार, पटना के पत्र संख्या-356(SASB), दिनांक-06.06.2025 के द्वारा रु० 1,51,05,000/- (रुपये एक करोड़ इक्यावन लाख पाँच हजार) मात्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। उक्त मांग के विरुद्ध विभागीय राज्यादेश सं०- 99(7), दिनांक-20.06.2025 द्वारा राशि रु० 1,51,05,000/- (रुपये एक करोड़ इक्यावन लाख पाँच हजार) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति के साथ रु० 33,00,000/- (रुपये तेतीस लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति दी गयी। उक्त परियोजनातर्गत अब तक रु० 33,00,000/- (रुपये तेतीस लाख) मात्र की राशि राज्य आयुष समिति को आवंटित की जा चुकी है।

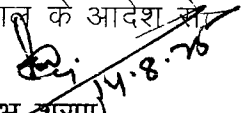
3- वर्णित स्थिति में संजीवनी कार्यक्रम तथा अन्य IT संबंधित कार्यों के संचालन हेतु होने वाले व्यय एवं मानदेय के बकाया भुगतान हेतु राज्य योजना मद से राशि रु० 1,51,05,000/- (रुपये एक करोड़ इक्यावन लाख पाँच हजार) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2025-26 में द्वितीय किस्त के रूप में रु० 67,00,000/- (रुपये सड़सठ लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4- इस राशि का वहन राज्य योजना अन्तर्गत मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-02-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ, लघु शीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष-0101-संजीवनी कार्यक्रम (आयुष), विपत्र कोड-20-2210020010101 अन्तर्गत विषय शीर्ष-28-02 सविदा सेवाएँ मद में उपबंधित राशि से किया जाएगा।

5- यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि०(2), दिनांक-17.04.98, 2880/वि०(2), दिनांक-06.05.06 एवं 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.08, 2199/वि०, दिनांक-24.03.2017, 3758/वि०, दिनांक-31.05.2017 एवं 12888/वि०, दिनांक-03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार,

- 7- अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से राज्य आयुष समिति, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0-PBBPLA029 एवं विपत्र कोड-8448001200084 में जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेगे।
- 8- राज्य आयुष समिति, बिहार, पटना पी0एल0 एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी0एल0 खाते में प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेगे।
- 9- प्रस्ताव एवं प्रारूप पर अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।
- 10- प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं0स0-7/बजट-46-18/2022 के पृष्ठ-57.../टि0 पर प्राप्त है।
- 11- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
- 12- यह मात्र व्ययादेश है, आवटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

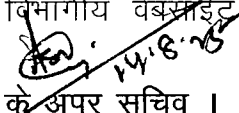
बिहार राज्यपाल के आदेश से

(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापाक-स0स0-7/बजट-46-18/2022 - 208/7/स्वा0, पटना, दिनांक-14/08/2025

प्रतिलिपि- योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य आयुष समिति, स्वास्थ्य भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-7 एवं 16, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव।